निर्णय व–इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

प्रकरण संख्या 100/2024 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्री सुनीता चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम ।

प्रार्थी

बनाम

जयसिंह सिनसिनवार पुत्र श्री श्याम सिंह निवासी सी–1999 गणेश मार्ग 60 फिट, महेश नगर, जयपुर मालिक डमरूवाला चाट कार्नर, महेश नगर, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ मय 18.550 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ व 01 रेग्यूलेटर मय पाईप को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 05.05.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.2024 को घरेलू गैस सिलण्डरों वाणिज्यक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशन पर बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ के अप्रार्थी डमरूवाला चाट कार्नर, महेश नगर, जयपुर के मालिक श्री जयसिंह सिनसिनवार की उपस्थिति में जांच की गई। जांच करने पर मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर चूल्हे से रेग्यूलेटर मय पाईप जुड़े पाये गये । मौके पर भट्टी को बन्द करवा कर सिलेण्डरों को दूर रखवाया गया। मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर आई ओ सी का और रखा हुआ पाया गया। जिनके वैद्य दस्तावेज/अनुज्ञापत्र मांगने पर उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैद्य रूप से वाणिज्यक उपयोग किया जाकर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लघंन किये जाने से 03 घरेलू गैस सिलेण्डर व 01 रेग्यूलेटर मय पाईप को जब्त किया गया है। अतः जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ मय 18.550 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ व 01 रेग्यूलेटर मय पाईप को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 21.10.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स मय

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

एल.पी.जी. व अन्य सामान का नियमानुसार अन्तरिम निरतारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थी को जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच में 03 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि.ग्रा. मय 18.550 कि.ग्रा. एल.पी.जी.व 01 रेग्यूलेटर को मौके पर जब्त किया गया है। मौके पर अप्रार्थी ने पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर्स के बारे में स्वामित्व संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया एवं ना ही कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों से ग्राहकों को बेचने के लिए चाट सामग्री तैयार की जा रही थी। जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैद्य रूप से वाणिज्यक दुरूपयोग किया जाना स्पष्ट होता है जो द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों का स्पष्ट का उल्लंघन है। इससे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की मनः स्थिति सिद्व होती है। अतः जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि हमारी लेबर स्वयं के खाने पीने हेतु घरेलू गेस सिलेण्डर का उपयोग कर रही थी। रात्रि में करीब 11–12 बजे के आस पास दुकान पर रसद विभाग के अधिकारियों ने आकर उक्त सिलेण्डरों को जब्त कर लिया। तीनों सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है। एक सिलेण्डर भरतपुर बृज गैस ऐजेन्सी ग्राहक संख्या 22479 मेरे स्वयं के नाम है, 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मेरे बडे भाई साहब से लिये थे, जिनका कनेक्शन राज. राज्य सह. क्य विकय्र संघ भवानी सिंह रोड जयपुर सतेन्द्र पाल सिंह ग्राहक संख्या 7068927883 पता बी–65 मजदूर नगर जयपुर के है। मेरे द्वारा बेरोजगारी के चलते उक्त व्यवसाय आरम्भ किया गया था जो कि केवल एक माह चला कर बन्द भी कर दिया गया है । अब पुनः बेरोजगार हो गया हूं । मुझे काफी नुकसान हुआ है। अगर यह सिलेण्डर नहीं लौटाये गये तो मुझे और भी नुकसान हो जायेगा। मेरे निवेदन है कि तीनों सिलेण्डर्स में से 24 कि.ग्रा. के लगभग गैस का उपयोग हमारी दुकान की लेबर ने स्वयं के चाय पानी व भोजन बनाने में उपयोग किया गया है । मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि व्यवसायिक परिसर में घरेल गैस सिलेण्डर रखना अवैद्य है इसका में क्षमा प्रार्थी हूँ । आप मुझसे 24 कि.ग्रा. घरेलू गैस की व्यवसायिक अन्तर राशि लेकर मेरे 3 सिलेण्डरों को वापिस करने के आदेश प्रदान करे।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 16.10.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अप्रार्थी के कब्जे से 03 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि.ग्रा. मय 18.550 कि.ग्रा. एल.पी.जी. व 01 रेग्यूलेटर मय पाईप मौके पर पाये गये है। जब्त सिलेण्डर स्वयं के एवं बडे भाई के होना बताया है, जिनकी गैस डायरी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। घरेलू गैस सिलेण्डर केवल उपभोक्ताओं की घरेलू रसोई में ही उपयोग किये जा सकते है, दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी घरेलू गैस व वाणिज्यक गैस की अन्तर राशि जमा कराने का निवेदन किया है, किन्तु अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर को उपयोग में लेते हुये पाया गया है। जिससे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की मनः स्थिति सिद्व होती है एवं प्रकरण में मैन्सरिया पाया जाता है। अप्रार्थी का द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किया

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा जब्तशुदा 14.200 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 18.550 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ एवं 01 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त गैस सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 21.10.2024 को पारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।
10. निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner